



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या-3723/रा0नि0आ0-3/2487/2024 (1) दिनांक 03 फरवरी, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1688/रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं सपठित पुनर्मतदान आदेश संख्या-3656/रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 28 जनवरी, 2025 के अन्तर्गत सम्पन्न हुए निर्वाचन में जनपद अल्मोड़ा के नगर निगम, अल्मोड़ा के कक्षा संख्या-40 (खगमराकोट) से निर्वाचित घोषित की गयी सभासद, मधु बिष्ट को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-46 के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा अधिसूचित करता हूँ।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-3723/रा0नि0आ0-3/2487/2024 (1) तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-(ख) में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को प्रकाशित कर तथा मुद्रित अधिसूचना की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल।
4. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) अल्मोड़ा।
5. मुख्य नगर अधिकारी/अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, अल्मोड़ा।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त का सम्यक् प्रकाशन/प्रसारण कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।